



## राष्ट्रीय क्रेडिटि ढाँचा

### प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय शकषा नीति, शैक्षणिक क्रेडिटि बैंक, नेशनल क्रेडिटि ढाँचा ।

### मेन्स के लयि:

नेशनल क्रेडिटि फ्रेमवर्क (NCrF) और इसका महत्त्व ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में शकषा मंत्रालय ने 'नेशनल क्रेडिटि फ्रेमवर्क' (National Credit Framework -NCrF) के एक मसौदे का अनावरण कयि, जसिका उद्देश्य स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की पूरी शकषा प्रणाली को अकादमिक 'क्रेडिटि' शासन के तहत लाना है और इसमें सार्वजनिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की गई है ।

## राष्ट्रीय क्रेडिटि ढाँचा:

- **वषिय:** राष्ट्रीय क्रेडिटि ढाँचा **राष्ट्रीय शकषा नीति** का एक अंग है ।
  - ढाँचे के अनुसार, एक शैक्षणिक वर्ष को कसिी छात्र द्वारा उपयोग कयि गए घंटों की संख्या के आधार पर परिभाषित कयि जाएगा । शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रत्येक को तदनुसार क्रेडिटि प्रदान कयि जाएगा ।
  - जुलाई 2021 में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शकषा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिटिस की स्थापना और संचालन) वनियिमों के तहत इसकी रूपरेखा तैयार की गई है ।
- **क्रेडिटि ससि्टम:** NCrF पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जसिे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है, कक्षा 5 से ही क्रेडिटि स्तर का प्रस्ताव करती है जो क्रेडिटि स्तर 1 होगा, क्रमशः स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट के साथ क्रेडिटि स्तर 7 और 8 तक जाएगा ।
  - सीखने के प्रत्येक वर्ष के साथ क्रेडिटि स्तर में 0.5 की वृद्धि होगी ।
- **क्रेडिटि अर्नगि:** क्रेडिटि के असाइनमेंट के लयि कुल 'नोशनल लर्नगि आवर्स इन ए ईयर' 1200 घंटे होंगे । छह महीने के प्रतिसेमेस्टर 20 क्रेडिटि के साथ प्रत्येक वर्ष 1200 घंटे सीखने के लयि न्यूनतम 40 क्रेडिटि अर्जति कयि जा सकते हैं । प्रत्येक क्रेडिटि 30 घंटे प्रति क्रेडिटि सीखने के 30 घंटे के साथ जाएगा ।
- NCrF के संदर्भ में सीखने के घंटे का अर्थ न केवल कक्षा में शकषण से है, बलकसिह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में भी बतिया गया समय है । ऐसी गतिविधियों की सूची में खेल, योग, प्रदर्शन कला, संगीत, सामाजिक कार्य, एनसीसी, व्यावसायिक शकषा, साथ ही नौकरी पर प्रशकषण, इंटरनशिप शामिल हैं ।
  - **आसान प्रवेश और नकिस:** क्रेडिटि अंतरण तंत्र कसिी भी छात्र/शकषार्थी को कसिी भी समय, सामान्य एवं व्यावसायिक दोनों तरह के शैक्षिक पारसिथितिकी तंत्र में प्रवेश करने तथा बाहर नकिलने में सक्षम बनाएगा । ऐसे मामलों में प्राप्त कार्य अनुभव या शकषार्थी द्वारा कयि गए कसिी अन्य प्रशकषण को उचित महत्त्व दया जाता है ।
  - **सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर उचित ध्यान देना:** नया क्रेडिटि ढाँचा कक्षा शकषण, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा परियोजनाओं, खेल और अन्य गतिविधियों में प्रदर्शन को ध्यान में रखेगा, साथ ही **पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों या वभिन्न वषियों के बीच अंतर नहीं करेगा ।**
  - **आधार-सक्षम छात्र पंजीकरण:** आधार-सक्षम छात्र पंजीकरण कयि जाएगा । छात्र पंजीकरण के बाद **एक शैक्षणिक क्रेडिटि बैंक (Academic Credit Banks)** खाता खोला जाएगा । उन खातों में डिग्री और क्रेडिटि जमा कयि जाएगा । डिजिलिाकर जैसा नॉलेज़ लॉकर मौजूद होगा ।
  - **शैक्षणिक क्रेडिटि बैंक:** उच्च शकषा के लयि हाल ही में शुरू कयि गए **शैक्षणिक क्रेडिटि बैंक (Academic Credit Banks)** का वसितार स्कूली शकषा से अर्जति क्रेडिटि के एंड-टू-एंड प्रबंधन की अनुमति देने के लयि कयि जाएगा और इसमें व्यावसायिक शकषा एवं प्रशकषण भी शामिल होंगे ।
  - **महत्त्व:**
    - यह शैक्षिक और कौशल संस्थानों एवं कार्यबल को शामिल करते हुए 'कौशल, पुनः कौशल, अप-स्किलिंग, मान्यता तथा मूल्यांकन के लयि एक छत्र ढाँचे' के रूप में काम करेगा ।

- ज्ञान प्राप्ति, व्यावहारिक प्रशिक्षण और सकारात्मक सामाजिक परिणामों का श्रेय अगले 2-3 वर्षों में 100% साक्षरता हासिल करने एवं भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न.** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत् विकास लक्ष्य-4 (वर्ष 2030) के अनुरूप है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना का इरादा रखती है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2020)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-credit-framework>

